संख्या 11030/24/83-अ0भा0से0(1)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7-10-1984

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के

मुख्य सचिव ।

विषय:- भारतीय प्रशासनिक सेवा(वेतन) नियमावली, 1954-वरिष्ठ वेतनमान में वेतनवृद्धि के विनियम ।

महोदय,

मुझे इस विभाग की दिनांक 31 मई, 1979 की अधिसूचना संख्या 11030/29/77-अ0भा0से0(1) जिसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा(वेतन) नियमावली, 1954 अनुसूची-1 के नीचे की टिप्पणी 2 को संशोधित किया गया था, का हवाला देते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि हाल ही में कुछेक ऐसे मामले इस विभाग के ध्यान में आये हैं जिनमें 1.1.1973 के बाद उक्त सेवा में नियुक्त किए गए सीधी भर्ती के जो अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान में अपनी प्रथम वेतनवृद्धि सेवा का सातवां वर्ष आरंभ होने पर प्राप्त कर सकते थे, उन्हें वह वेतनवृद्धि सेवा का सातवां वर्ष आरंभ हो जाने के बाद भी वरिष्ठ वेतनमान में उनकी पदोन्नति की तारीख से एक वर्ष तक नहीं दी गई थी । इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट करना है कि 31 मई, 1979 के संशोधन केवल उन अधिकारियों पर लागू होता हैं जिन्हें उक्त सेवा में 1.1.1973 से पहले नियुक्त किया गया था किन्तु वरिष्ठ समय वेतनमान में 1.1.1973 के बाद पदोन्नत किया गया था । वास्तव में, जिस प्रयोजन के लिए यह संशोधन किया गया था, वह प्रयोजन उपर्युक्त अधिसूचना के व्याख्यात्मक ज्ञापन में स्पष्ट कर दिया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस संशोधन का उद्देश्य यह था कि सेवा के उन सदस्यों की वेतनवृद्धि पहले की तारीख में लगा दी जाए । जो 31.12.1972 को अपना वेतन पूर्वसंशोधित कनिष्ठ से वेतनमान के एक निश्चित स्तर पर ले रहे थे और वरिष्ठ समय वेतनमान में 1.1.1973 को या उसके बाद पदोन्नत किये गए थे।

2- भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली 1954 की अनुसूची-1 के नीचे टिप्पणी-2 में यह व्यवस्था है कि सेवा के जिस सदस्य को वरिष्ठ समय वेतनमान में 1.1.1973 के बाद प्रोन्नत किया गया है वह वरिष्ठ समय वेतनमान में उतना ही वेतन लेगा जो वरिष्ठ समय वेतनमान में उसकी नियुक्ति न होने पर कनिष्ठ वेतनमान में समय समय पर उसे मिलता। अनुसूची-1 में सारणी के अनुसार सेवा का सदस्य अपनी सेवा के सातवें वर्ष में प्रवेश करने पर कनिष्ठ समय वेतनमान में 940/-रू0 प्राप्त करने का हकदार होगा और वरिष्ठ समय वेतनमान में इसका अनुरूपी स्तर 1250/-रू0 है। तदनुसार, सीधी भर्ती के ऐसे सभी अधिकारी जिन्हें 1.1.1973 को अथवा उसके बाद सेवा में नियुक्त किया गया हे और वरिष्ठ वेतनमान में छठे वर्ष अथवा उससे पहले प्रोन्नत किया गया है, वे सातवें वर्ष में प्रवेश करने पर 1250/- रू0 प्राप्त कर सकते हैं। यह परन्तुक केवल उन्हीं मामलों में लागू होगा जहां छठे वर्ष में पदार्पण (प्रवेश) करने से पहले वरिष्ठ वेतनमान में प्रोन्नत अधिकारी सेवा के सातवें साल में प्रवेश करने पर 1250/-रू0 नहीं पा सकते है। ऐसे वही अधिकारी होंगे जिन्हें 1.1.1973 से पहले सेवा में नियुक्त किया गया था और जो 31.12.1972 को पूर्व संशोधित कनिष्ठ समय वेतनमान के निश्चित स्तरों पर वेतन पा रहे थे।

3- मुझे यह भी स्पष्ट करना है कि जो अधिकारी 1.1.1973 को अथवा उसके बाद सेवा में नियुक्त किये गये थे और सेवा के छठे वर्ष में प्रवेश करने से पहले वरिष्ठ समय वेतनमें पदोन्नत कर दिये गये थे उनके मामले में छठा वर्ष पूरा कर लेने के बाद वरिष्ठ समय वेतनमान में पड़ने वाली वेतनवृद्धि को स्थगित करने की व्यवस्था अ0भा0से0 (वेतन) नियमावली 1954 की अनुसूची -1 के नीचे टिप्पणी 2 में नहीं है। क्योंकि ऐसे अधिकारी, उपर्युक्त मुख्य टिप्पणी-2 के अनुसार सेवा के सातवें वर्ष में प्रवेश करने पर वरिष्ठ वेतनमान में अपनी पहली वेतनवृद्धि प्राप्त कर सकते हैं।

भवदीया,

(श्रीमती अलका काला)
उप सचिव, भारत सरकार

1-प्रति सभी राज्यों के महालेखापाल।
2- गृह मंत्रालय (संघ राज्य क्षेत्र अनुभाग)